बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

29 नवम्बर, 2024

[ऊर्जा - आपदा प्रबंधन - पर्यटन - योजना एवं विकास - संसदीय कार्य - विधि स्वास्थ्य].

कुल अल्पसूचित प्रश्न - 5

व्यवस्था को तत्काल ठीक करना

24. **श्री राणा रणधीर (मधुबन):**

स्वास्थ्य

क्या मंत्री,स्वास्थ्य विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- 1.क्या यह बात सही है कि राज्य के आईजीआईएमएस, पटना में सभी प्रकार की बीमारियों की जॉच अल्ट्रा साउंड एवं एमआरआई की समुचित सुविधा उपलब्ध रहने के बावजूद मरीजों को जॉच के लिये तीन महीने बाद समय दिया जाता है एवं जॉच रिपोर्ट मिलने में भी 10 दिनों का समय लगता है, जिससे मरीजों के त्वरित ईलाज में विलम्ब होता है; 2.क्या यह बात सही है कि जॉच हेतु महीनों इंतजार के कारण मरीजों का ईलाज समय पर नहीं होने से मजबूरन उन्हें संस्थान के बाहर अन्यत्र जांच केन्द्रों में जाँच कराना पड़ता है, जिससे मरीजों पर आर्थिक भार पड़ता है; 4.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आईजीआईएमएस, पटना की उक्त व्यवस्था को तत्काल ठीक कर गरीब मरीजों को लाभ देने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दवा का वितरण

25. **श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा):**

स्वास्थ्य

थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-26.10.2024 को प्रकाशित शीर्षक "बाजार में खप जाती अधिकांश गैरमानक दवाएं" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- 1. क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अगस्त माह 2024 में नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (एनएसक्यू) अलर्ट जारी की है, जिसमें दर्द निवारण, बुखार, गैस, बीपी सहित 48 दवाएं शामिल किया गया है जिसमें सब स्टैंडर्ड या नकली दवाएं बेची जा रही है; 2. क्या यह बात सही है कि रोगियों को अमानक दवाएं नियमित रूप से लेने के कारण फायदा नहीं होने पर दूसरी दवाओं का बेवजह उपयोग करने के कारण किडनी सहित अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार राज्य में दवा का वितरण मानक के अनुरूप कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों;

कार्रवाई करना

26. **श्री अजीत शर्मा (भागलपुर):**

ऊर्जा

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1.क्या यह बात सही है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में ई0ई0एस0एल0 द्वारा 18 लाख प्रीपेड मीटर शहरी क्षेत्रों में लगाये जा चुके हैं, 2.क्या यह बात सही है कि नवम्बर 2023, मई,2024 और अभी अक्टूबर,2024 में प्रीपेड मीटर का सर्वर फेल हो जाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत का पता नहीं चलता और एकमुश्त भारी भरकम राशि बिजली मद में चुकानी पड़ती है; 3.क्या यह बात सही है कि लगाये गये सभी मीटर टेस्टेड नहीं रहते हैं बल्कि सैम्पल

टेस्ट के आधार पर प्रीपेड मीटर लगाया जाता है जिसके कारण सर्वर से कनेक्शन फेल होने संबंधी समस्या आ रही है; 4.यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार त्रुटिपूर्ण और अनटेस्टेड मीटर लगानेवाली एजेंसी के विरूद्ध कौन सी कार्रवाई कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?

डेंगू की रोकथाम

27. **मो० आफाक आलम (कसबा, पूर्णिया):**

स्वास्थ्य

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.10.2024 को प्रकशित शीर्षक "पटना के 70 समेत राज्य में डेंगू के 153 मरीज मिले" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- 1.क्या यह बात सही है कि राज्य में जनवरी 2024 से 01 नवम्बर 2024 तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 7489 है जिसमें पटना जिला में 3705 है तथा सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है; 2.क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत तीन वर्षो में डेंगू के मरीजो की संख्या में काफी वृद्वि हुई है; 3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्वि होने के कारण समाधान हेतु कौन-कौन से कदम उठने का विचार रखती है, नही तो क्यों;

कार्रवाई करना

28. **श्री जनक सिंह (तरैया):**

ऊर्जा

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 26.07.2024 को प्रकाशित "जिसे स्वीकृति नहीं, हीं उसी एजेंसी को ब्रेडा ने दिया 175 करोड़ को टेंडर" के आलोक में क्या क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ः- 1. क्या यह बात सही है कि राज्य में मई 2022 से मई 2024 तक बिहार रिन्यूएवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) द्वारा मेसर्स सैन एनर्जी नामक एजेंसी को 35.4 मेगावाट का काम दिया गया जो लगभग 175 करोड़ की राशि की है, 2. क्या यह बात सही है कि उक्त एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध नहीं है और ब्रेडा के अधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के विपरीत उक्त एजेंसी का काम दिया गया है, 3. क्या यह बात सही है कि एजेंसी द्वारा एक ही मेटेरियल को कई स्थानों पर सप्लाई दिखाकर भुगतान को लिया गया जो वित्तीय अनियमितता है, 4. यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उक्त कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पटना-800015 .
29 नवंबर , 2024 .

श्रीमती ख्याति सिंह ,
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा